राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/62

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थनापत्र	20/2024	14/2/24	01/5/24 [illegible]	12/3/24

अनवान

श्री उदा S/o हजारी गुर्जर .... श्री मदनलाल S/o देबीलाल धाकड़

निवासी रेसुन्दा तह. बिजौलियाँ .... निवासी रेसुन्दा तह. बिजौलियाँ वगै(5)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट .... अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार .... मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: ....उदा........ बनाम ..मदनलाल..........

किस्म मुकदमा – ......111 – 128...... नम्बर ......20....../2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/3/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
12/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उत्तर-जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश आगामी दिनांक 01/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	
01/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) 14/02/24

तारीख दायर 14/3/24

प्रकरण संख्या :- 20/24

उदा पुत्र हजारी जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र देबीलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. परमा पुत्र मोती जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रंगलाल पुत्र पन्ना जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. देबीलाल पुत्र दुदा जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 01/5/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 132 पर अंकित आराजी संख्या 279/12 रकबा 1.9263 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 132 पर अंकित आराजी संख्या 279/12 रकबा 1.9263 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 20/24 तारीख दायर 14/2/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......20....../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

उदा पुत्र हजारी जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र देबीलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. परमा पुत्र मोती जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रंगलाल पुत्र पन्ना जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. देबीलाल पुत्र दुदा जाति भील उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.) ....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में** खाता संख्या 132 पर अंकित **आराजी संख्या 279/12 रकबा 1.9263 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एंव कमिशनर फीस ~~500~~ A4M/- रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा